

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## आदेश


राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-राजनीति विज्ञान जो कि उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था/कार्यालय में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 08 में अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक एवं समकक्ष	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	लूम्बाराम सोलंकी	राउमावि देबावास, जालोर	जालोर	01.04.1962	31.03.2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आदेश जारी होने की दिनांक तक-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 03/01/22

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2021-22/555  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर